न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :– 91/20 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2020/00091)

ईश्वरसिंह पुत्र श्री गिर्राज सिंह जाति जाट निवासी बौरई तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.............अपीलान्टस

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

..............रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति० जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 12.6.2014 एवं नायब तहसीलदार कुम्हेर आदेश दिनांक 06.03.2013 (अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री गोविन्द सिंह डागुर वकील अपीलान्ट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः– 05.09.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 12.6.2014 व नायब तहसीलदार कुम्हेर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नायब तहसीलदार कुम्हेर द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 77 रकबा 0.65 में से रकबा 0.7 है0 वाके ग्राम बौरई तहसील कुम्हेर पर पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुये निर्णय दिनांक 06.03.2013 से बेदखल कर तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया था। जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष पेश की गई थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने बाद कार्यवाही अपीलधीन आदेश दिनांक 12.6.2014 पारित करते हुये अपीलान्ट की अपील खारिज की है। इस आदेश के खिलाफ उक्त अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तहत पत्रावली तलब की गई रैस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2014 व नायब तहसीलदार कुम्हेर की ओर से पारित आदेश दिनांक 06.03.2013 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट को नायब तहसीलदार कुम्हेर के न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर नियत पेशी को अपीलान्ट नायब तहसीलदार न्यायालय में

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उपस्थित हुआ था तथा जबाब हेतु समय चाहा था। इसके बाद अगली पेशी पर नोटिस का जवाब भी पेश किया गया था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जवाब में वर्णित तथ्यों की जांच कराए बिना अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिए बिना अपीलान्ट के पीछे से ही पटवारी हल्का के बयान लेकर अपीलान्ट को विवादित आराजी मे पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर बेदखली, पचास गुना लगान राशि के अर्थदण्ड व 90 दिवस के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किए जाने के आदेश दिनांक 06.03.2013 को पारित कर दिया। उक्त निर्णय अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिए बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व न तो अपीलान्ट को सुना गया और न ही पटवारी हल्का द्वारा दिए गए बयानों में जिरह का अवसर ही प्रदान किया गया। निर्णय पारित करने से पूर्व विधिक प्रकिया की पूर्ण पालना भी नहीं की गई। अपीलान्ट को जबाब व साक्ष्य का मौका दिए बगैर नायब तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कुम्हेर द्वारा अपीलान्ट को पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर ही पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर 90 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया है जो गलत है, क्योंकि पश्चातवर्ती मानने के लिये पूर्व में अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किये गए आदेश एवं अपीलान्ट को बेदखल करने के आदेश की प्रति कि किस सन व किस माह में अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया था व इस तरह के आदेश की पालना में किस तारीख व कौन से महीने में अपीलान्ट को विवादित आराजी से बेदखल किया गया था, का पटवारी हल्का के बयानों में उल्लेख होना आवश्यक था। जबकि पटवारी हल्का के बयान में इस तरह के कोई तथ्य अंकित नहीं है और न ही बयानों के समर्थन में किसी तरह के कोई दस्तावेज ही संलग्न किए गए। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रत्येक घटना के संबंध में घटनाबही/दैनिक डायरी में उल्लेख किया जाता है। जिसमें पटवार हल्के में सरकारी भूमि से बेदखल किए जाने का उल्लेख भी होता है। पटवारी हल्का ने अपने बयान में इस तरह की कोई घटनाबही का उल्लेख नहीं किया और न ही बयानों के समर्थन में इस तरह का कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में कब बेदखल किया गया था। जबकि पश्चातवर्ती अतिकमी सिद्ध करने के लिये इस तरह का रिकार्ड या दस्तावेज पेश किया जाना आवश्यक था। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा भी अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त उपरोक्त बिन्दुओं पर गौर नहीं कर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को गलत रूप से खारिज किया है। चूंकि उक्त कानूनी बिन्दुओ को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा गौर न कर निर्णय पारित किया है। इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय काबिले मंसूखी है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2013 में उल्लेखित लगान की पचास गुना राशि अर्थदण्ड एवं फसल नीलामी की राशि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही जमा करवा दी गई थी तथा अपीलान्ट को विवादित भूमि से बेदखल भी किया जा चुका था,

संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर
संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

परन्तु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा इन बिन्दुओं पर ध्यान नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने में अहम कानूनी भूल की है। विवादित भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का कोई दस्तावेज अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। केवल मात्र यह लिख देने से ही की अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है, कानूनन मानने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय एडीएम भरतपुर द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अतिक्रमी को बेदखल किया जावे जबकि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार कुम्हेर के निर्णय की पालना में अपील पेश किए जाने से पूर्व बेदखल किया जा चुका था। जिसकी बेदखली रिपोर्ट नायब तहसीलदार की पत्रावली में संलग्न है। इसके बाद अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया गया। इसके बावजूद अतिरिक्त जिला कलक्टर ने विवादित भूमि से बेदखल करने व भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2014 में निर्देश दिए हैं जो कि कानूनी रूप से गलत हैं। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि विवादित खसरा नंबर 77 रकबा 0.65 है0 में से 0.40 है0 भूमि ग्राम पंचायत हेतु दिनांक 18.09.2019 को आवंटित कर दी गई है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा वर्तमान में नहीं है। नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2013 के क्रम में अपीलान्ट को बेदखल किया जा चुका है व अपीलान्ट द्वारा शास्ती राशि भी जमा करा दी गई है। जहां तक पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो नायब तहसीलदार न्यायालय की अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिचार होने का कोई रिकार्ड नहीं है। केवल मात्र पटवारी हल्का द्वारा दिए गए बयान को आधार मानकर पश्चातवर्ती अतिचारी माना गया है, जो कि उचित नहीं है। वकील अपीलान्ट ने इस संबंध में 1996 आर. आर.डी पेज 583 व 585 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पटवारी हल्का द्वारा दिए गए बयान के समर्थन में पूर्व में बेदखल किए जाने के आदेश की प्रमाणित प्रति, घटनाबही की प्रमाणित प्रति आदि संलग्न नहीं किए जाने पर पश्चातवर्ती अतिचार मानकर दिए गए सिविल कारावास के दण्ड को उचित नहीं माना गया है। इसी तरह के सिद्धान्त आर.बी.जे (7) पेज 25–26 पर उद्धरित निर्णय में भी पारित किया गया है। वकील अपीलान्ट ने 1996 (3) आर.बी.जे पेज 361 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया कि पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध में सिविल कारावास का दण्ड दिए जाने से पूर्व नोटिस में पश्चातवर्ती अतिचार का उल्लेख किया जाना आवश्यक है तथा अतिचारी को यह मौका होना चाहिए कि वह अपने बचाव में उपयुक्त तैयारी कर न्यायालय में उपस्थित हो सके तथा पटवारी द्वारा दिए गए बयान में जिरह का अवसर प्राप्त हो सके। उक्त प्रकरण में अदालत मातहत मे न तो अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया और न ही बचाव हेतु मौका दिया तथा पटवारी हल्का द्वारा दिए गए बयानों में भी जिरह का अवसर नहीं दिया गया। अतः इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। इसी तरह पश्चातवर्ती अतिचार साबित किए जाने हेतु पूर्व का निर्णय, विवादित भूमि से बेदखल किए जाने का दस्तावेज प्रस्तुत होना

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आवश्यक है। इसके अभाव में दिये गए सिविल कारावास के दण्ड को उचित नहीं माना गया। इस तर्क के समर्थन में 1996 (3) आर.बी.जे पेज 410 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। आर.आर.टी 2003 (1) पेज 599 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लेख करते हुए वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि यदि पश्चातवर्ती अतिकमी रिकार्ड से साबित नहीं है कि उसे पूर्व में कब व किस प्रकार से बेदखल किया गया है तो इस तरह के मामले में सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाना उचित माना गया है। अतः उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.03.2013 में पारित सिविल कारावास की सजा निरस्तनीय है। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने भी उनके समक्ष प्रस्तुत हुई अपील में इन बिन्दुओं पर गौर नहीं कर अपीलान्ट की अपील को गलत रूप से खारिज किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2014 तथा नायब तहसीलदार कुम्हेर की ओर से पारित आदेश दिनांक 06.03.2013 में पारित सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.6.2014 व नायब तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2013 विधिक प्रकिया की पालना करते हुए पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलान्ट के द्वारा सम्वत 2069 में विवादित आराजी खसरा नंबर 77 रकबा 0.65 में से रकबा 0.7 है0 ग्राम बाबैन तहसील कुम्हेर चारागाह गेहूं की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में पश्चातवर्ती अतिकमी होना भी अंकित है। रिकार्ड एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान से अपीलान्ट का पश्चातर्वी अतिकमी होना बखूबी साबित होता है। अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है जिससे उसको पश्चातवर्ती अतिकमी नहीं माना जा सके। तहत परीक्षण अदालत ने अतिकमी को 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये विधिवत तरीके से सुनवाई उपरान्त ही निर्णय पारित किया गया है, जिसका परीक्षण अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा प्रथम अपील में किया जा चुका है। अपीलान्ट सरकारी भूमि पर बार–बार अतिकमण करने का आदतन है इसलिऐ तहत अदालत ने अपीलधीन आदेश से परीक्षण न्यायालय के आदेश को यथावत रखा है। अतः अपील अपीलान्ट बेबुनियाद होने के कारण खारिज की जावे एवं तहत अदालत का फैसला यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक व सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई तथा अपीलाधीन निर्णयों संबंधी मूल पत्रावलियों एवं वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में संदर्भित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का की ओर से अपीलान्ट के विरूद्ध आराजी खसरा नंबर 77 रकबा 0.65 है0 किस्म चारागाह के 0.7 है0 रकबे में गेहूं की फसल बोकर अतिक्रमण किए जाने व कैफियत में अपीलान्ट की ओर से गत वर्ष भी अतिक्रमण किए जाने का उल्लेख करते हुए तहसीलदार कुम्हेर को दिनांक 12.01.2013 को रिपोर्ट प्रस्तुत की

कार्यालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

जिसके साथ नजरी नक्शा, खसरा परिवर्तनशील की प्रति प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट पेश होने पर अपीलान्ट को नायब तहसीलदार कुम्हेर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया, जिसमें दिनांक 06.02.2013 को न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की गई। नियत पेशी पर अपीलान्ट स्वयं उपस्थित हुआ व जवाब हेतु समय चाहे जाने का उल्लेख आदेशिका में किया हुआ है। इसके बाद अगली पेशी दिनांक 28.02.2013 को अपीलान्ट की ओर से इस आशय का जवाब पेश किया गया कि अपीलान्ट का किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। वरन् खातेदारी की भूमि पर कब्जा है। विवादित भूमि की पैमाइश प्रार्थी के सामने कराई जाए। यदि पैमाइश में प्रार्थी का कोई कब्जा सरकारी भूमि पर पाया जाता है तो प्रार्थी उसे हटाने हेतु तैयार है। इसके बाद पर अपीलान्ट के उपस्थित नहीं होने के कारण नायब तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पटवारी हल्का के दिनांक 06.03.2013 को बयान लेने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.03.2013 को पारित किया गया। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश दिनांक 28.01.2011 में दिए गए निर्देशों का उल्लेख करते हुए अपीलान्ट को विवादित भूमि से बेदखल किए जाने, लगान के 50 गुना राशि के अर्थदण्ड पश्चातवर्ती अतिचारी होने के कारण तीन माह अर्थात 90 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया। अपीलान्ट की ओर से उक्त निर्णय के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई। जिसमें अदालत मातहत द्वारा पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच नहीं किए जाने व दस्तावेजों के बिना दिए गए सिविल कारावास की सजा को निरस्त किए जाने का अनुतोष चाहा गया। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2014 में यह मानते हुए कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचार माना है। पटवारी हल्का के बयान में भी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जाना बखूबी पाया जाता है। अपीलान्ट की ओर से विवादित चारागाह भूमि पर अतिक्रमण होने के संबंध में कोई साक्ष्य/प्रमाण पेश नहीं किए जाने का उल्लेख करते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की है। अपीलाधीन निर्णय में यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि अपीलान्ट की ओर से पुनः अतिक्रमण किया जाए तो धारा 91 (2) पश्चातवर्ती अतिकमी व धारा 91 (6) एलआर एक्ट के प्रावधान अनुसार तत्परता से कार्यवाही की जावे। वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में संदर्भित विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय का परीक्षण किए जाने से यह स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार कुम्हेर द्वारा विवादित भूमि पर अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिचारी होने के संबंध में पत्रावली में न तो पूर्व निर्णय की पत्रावली संलग्न की और न ही पूर्व में बेदखल किए जाने की रिपोर्ट ही पत्रावली में लगवाई। पटवारी हल्का द्वारा दिए गए बयानों में भी यह उल्लेख नहीं है कि पूर्व में अपीलान्ट को विवादित भूमि से कब बेदखल किया गया था। इसके अलावा वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में यह भी उल्लेख किया गया कि विवादित भूमि में से कुछ भूमि ग्राम पंचायत हेतु जिला कलक्टर द्वारा वर्ष 2019 में आवंटित कर दी गई है। वर्तमान में अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नायब तहसीलदार कुम्हेर के न्यायालय की अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियों में विवादित भूमि से अपीलान्ट को दिनांक 14.03.2013 को बेदखल किए जाने व उक्त भूमि में बोई गई फसल को नीलाम किए जाने की रिपोर्ट संलग्न की हुई है। अर्थात् अपीलान्ट को विवादित भूमि से बेदखल किया जा चुका है तथा शास्ती की राशि भी तत्समय ही जमा कराए जाने का वकील अपीलान्ट द्वारा अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार कुम्हेर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.03.2013 में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर तीन माह अर्थात 90 दिवस के साधारण कारावास की सजा के दण्ड को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन यह भी सही है कि विवादित भूमि की किस्म चारागाह है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित निर्णय के क्रम में चारागाह भूमि को निजी व व्यावसायिक आवंटन/नियमन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पर वर्तमान स्थिति के संबंध में प्रकरण पुनः नायब तहसीलदार कुम्हेर को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2014 जिसमें सिविल कारावास की सजा को यथावत रखे जाने के आदेश दिए गए हैं, को निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार नायब तहसीलदार कुम्हेर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.03.2013 में विवादित भूमि से बेदखल किए जाने लगान की 50 गुना शास्ती राशि के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने को यथावत रखते हुए पश्चातवर्ती अतिचारी के आधार पर तीन माह अर्थात 90 दिवस के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किए जाने की सजा को निरस्त किया जाता है। प्रकरण नायब तहसीलदार कुम्हेर को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के संबंध में पटवारी हल्का से पुनः रिपोर्ट प्राप्त करें। यदि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अभी भी अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान करते हुए वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में संदर्भित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में पश्चातवर्ती अतिचारी होने के संबंध में पटवारी हल्का के बयान आदि लेने, अपीलान्ट को साक्ष्य व सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर देने के बाद पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध में सभी सुसंगत दस्तावेज प्राप्त करते हुए सिविल कारावास के संबंध में पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखा जाकर आज दिनांक 05.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर